कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 29/05//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.05.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नन्दगज पुलिस द्वारा लकड़ी चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण को 100 अदद यूके लिप्टस की बल्ली व एक टाटा मैजिक जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP65CT8532 के साथ किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी भुडकुडा के कुशल पर्यवेक्षण में देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अर्न्तगत दिनांक 27.05.2024 को **उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह मय हमराह आरक्षी विपिन नायक** के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन तथा रोकथाम जूर्म जरायम मे सहेड़ी चट्टी पर मामूर थे कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि ग्राम फतेहउल्लाहपुर में स्थित मेसर्स विकास कान्सट्र्क्सन के गोदाम से लकड़ी की बल्लियों को चुराने वाले व्यक्ति उन लकड़ी की बल्लियों को टाटा मैजिक पर लादकर कही बेचने के लिए ले जा रहे है। **उक्त सूचना पर पुलिस वालों द्वारा सतर्क दृष्टि रखकर चेकिंग किया गया तो चेकिंग के दौरान एक टाटा मैजिक जिसका रजिस्ट्रेशन नं0** UP65CT-8532 है, पर 100 अदद यूके लिप्टस की लकड़ी की बल्ली जिनकी लम्बाई करीब 10 से 12 फीट है के साथ दो अभियुक्त गण अभिषेक त्रिपाठी पुत्र सच्चिदानन्द त्रिपाठी निवासी ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष व ओम प्रकाश बिन्द पुत्र पारस बिन्द निवासी ग्राम मुरकटनी (सौरम) थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष को दिनांक- 27.05.2024 समय करीब 19.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद शुदा 100 अदद यूके लिप्टस की बल्लियों को श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश संख्या 43/18 जे0ए0-थाना-कोतवाली-कुर्की/2020 दिनांक- 05.11.2020 के क्रम में ग्राम फतेहउल्लाहपुर परगना व तहसील व जिला गाजीपुर के गाटा संख्या 341 सं0 में स्थित मेसर्स विकास कान्सट्र्क्सन (पार्टनर सरजिल रजा उर्फ आतिफ रजा, अनवर शहजाद आफ्सा अंसारी) के गोदाम को अन्तगर्त धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में उपरोक्त भूमि कुर्क की गयी थी। जिसमें मौके पर गोदाम बना है तथा उसमें काफी मात्रा में लकड़ी की बल्लियों इत्यादि रखी थी। जिसको अभियुक्त गण द्वारा

दिनांक 23.05.2024 की रात के अधेरे में ताला तोड़कर लकड़ी की बल्लियों की चोरी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में श्री लालजी विश्वकर्मा तहसीलदार सदर गाजीपुर द्वारा थाना नन्दगंज पर लिखित प्रा0पत्र देकर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 457,380 भा0द0वि0 में अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। **गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर** गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण के विरूद्ध धारा 411 भा0द0वि0 की बढोत्तरी कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा जायेगा। जिसका विवरण निम्नवत है-

<u>गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण का नाम पता</u> -

1. अभिषेक त्रिपाठी पुत्र सच्चिदानन्द त्रिपाठी निवासी ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष
2. ओम प्रकाश बिन्द पुत्र पारस बिन्द निवासी ग्राम मुरकटनी (सौरम) थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष

<u>बरामदगी-</u>

1. 100 अदद यूके लिप्टस की बल्लियों
2. **एक टाटा मैजिक जिसका रजिस्ट्रेशन नं0** UP65CT-8532।

02. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा'

दिनांक 28.05.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 991A/2007 धारा 147/148/307/332/336/323/504 भादवि व 7 CLA ACT से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 1. हनुमान सिंह यादव पुत्र श्यामसुन्दर यादव 2.रामलखन यादव पुत्र बालगोविन्द निवासीगण नोनहरा, थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 332 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 336 भादवि में 03 माह का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 7 CLA ACT में 06 माह का कारावास व 500 रुपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक

गाजीपुर